फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2024/127 बअनवान विनोद कुमार बनाम फुलाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
09/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते है। वकील प्रार्थी के अनुरोध पर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहारते हुये दलील दी गई कि प्रार्थी द्वारा ग्राम लुणावा में स्थित प्रार्थी व अप्रार्थीगण के संयुक्त सहखातेदारी के तीनों खातो की भूमियों के संबंध में विभाजन व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है जिस वाद में वर्णित खाता सं 34 की भूमि खसरा नंबर 282, 283 व 285 से 293 कुल खसरा 11 कुल रकबा 5.15 हेक्टर में प्रार्थी का 1/15 हिस्सा निहीत है तथा खाता सं 31 खसरा नंबर 284 रकबा 0.67 हैक्टर में प्रार्थी का 1/9 हिस्सा तथा खाता सं 561 खसरा नंबर 317, 326, 327 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.09 हेक्टर में प्रार्थी का 1/15 हिस्सा निहीत है। प्रार्थी ने इन तीनो खातों के रिकार्ड में दर्ज अपने 1/15, 1/9, 1/15 हिस्सा अनुसार विभाजन के लिए प्रस्तुत वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध रिकार्ड की मौका स्थिति बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी। वकील अप्रार्थीगण द्वारा दलील दी कि प्रार्थी स्वयं ने अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि स्वयं ने ही सहखातेदार चंदन बाई का हिस्सा अपने पुत्र के पक्ष में बक्शीश करवाते हुये रिकार्ड में चंदन बाई के स्थान पर अपने पुत्र को 1/15 हिस्सा में सहखातेदार बना दिया है। इस प्रकार प्रार्थी स्वयं द्वारा रिकार्ड में रद्दोबदल किया जाने की कार्यवाही की जारी रही है। उपस्थित वकील प्रार्थी द्वारा उनकी दलीलों का खण्डन कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत मौके के फोटो चित्र की प्रति पेश कर दलील दी गई कि मौके पर अप्रार्थीगण के द्वारा बिना विभाजन के ही छीणें रोप कर तारबंदी कर दी गई है जबकि भूमि का अभी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के रिकार्डेड बंटवाडा होना शेष है। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात वर्णित भूमि को लेकर पक्षकारों के मध्य कोई अन्यथा विवाद न हो इस हेतु ग्राम लुणावा में स्थित प्रार्थी व अप्रार्थीगण के संयुक्त सहखातेदारी की तीनों खातो की भूमियों के संबंध में विभाजन व सार्वकालिक निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner